हरियाणा सरकार

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

आदेश

सरकार के आदेश पृ0 कमांक टीई/2/कोर्ट–केस/डी.सी.रेट/एक्सटैंशन/प्रशासन–4 दिनांक 5.4.2010 तथा निदेशालय के पत्र कमांक टीई/2/कोर्ट–केस/डी.सी.रेट/एक्सटैंशन/प्रशासन–4 दिनांक 4.7.2011 द्वारा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत जिन अनुदेशकों द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की आऊटसोर्सिंग पोलिसी 16.2.2009 की हिदायतोंनुसार आगे अनुबन्धित सेवा में बने रहने के लिए नया इकरारनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था, को उनकी अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति के समय के निर्धारित वेतन (डी0सी0रेट) की अदायगी करने के आदेश दिये गये थे ।

इन आदेशों के विरूद्ध अनुबन्ध आधार पर कार्यरत कई अनुदेशकों द्वारा डी.जी.ई. एंड टी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम् वेतनमान देने बारे माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 17116 आफ 2011 कुलदीप शर्मा व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 19630 आफ 2014 प्रदीप कुमार व अन्य बनाम हरियाणा सरकार तथा सी0डब्ल्यू0पी0 नं0 16831 आफ 2014 बालकरण सिंह व अन्य बनाम हरियाणा सरकार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें हुए निर्णयों के दृष्टिगत उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए सभी संस्थान मुखियों को निर्देश दिये जाते हैं कि अनुबन्ध आधार पर कार्यरत सभी अनुदेशकों को वेतन में एकरूपता बनाये रखते हुए न्यूनतम् वेतनमान 12500/– की अदायगी की जाये ।

उपरोक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

दिनांक 11.3.2015

अनिल कुमार, आई.ए.एस.
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

पृ0 कमांक टीई/सी0डब्ल्यू0पी0/17116/2011/प्रशासन–III दिनांक

उपरोक्त की एक प्रति महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

-sd-
अधीक्षक(औद्यो0प्रशि0)
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ।

पृ0 कमांक टीई/सी0डब्ल्यू0पी0/17116/2011/प्रशासन–III 302 दिनांक 31/3/15

उपरोक्त की एक प्रति सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला के मुखियाओं (हरियाणा राज्य) को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

(हस्ताक्षर)
अधीक्षक(औद्यो0प्रशि0)
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ।

C.C. अनीता दत्ता, अडिशनल निदेशक (प्रशिक्षण)